रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन) 04/0007/2003--20

REGISTERED No. DL—(N) 04/0007/2003—20

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26092020-222007
CG-DL-W-26092020-222007

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] **नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 26—अक्तूबर 2, 2020 (आश्विन 4, 1942)**
No. 39] **NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 26—OCTOBER 2, 2020 (ASVINA 4, 1942)**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.	487
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	627
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	7
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.	1503
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	1013
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.	299
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.	1089
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	487
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	627
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....................................	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1503
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1013
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	299
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1089
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2020

सं. ए-42/31/2016-कार्यालय अ.स.(प्रशा.)—सक्षम प्राधिकारी ने सिक्किम खनन निगम (एसएमसी) के विरुद्ध बकाया 54 लाख रुपए के ऋण और उस पर 370.40 लाख रुपए (31.03.2019 तक) की ब्याज राशि, कुल 424.40 लाख रुपए और दिनांक 01.04.2019 से सीसीईए द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन अर्थात दिनांक 27.11.2019 तक ब्याज की राशि, जो कुल राशि पर अर्जित हुई है, को चुकाने से छूट के संबंध में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त पर कर दिया है कि सिक्किम खनन निगम (एसएमसी) की मशीनरी की बिक्री आय से अर्जित 11.21 लाख रुपए की राशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज की अदायगी सरकार को कर दी जाएगी।

2. एसएमसी ने दिनांक 13.08.2020 को रु. 17,36,784/- (रु. 11.21 लाख तथा उस पर दिनांक 12.08.2020 तक लगने वाला ब्याज रु. 6,15,784/-) की राशि आरटीजीएस के माध्यम से वेतन एवं लेखा कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में जमा कर दी है।

3. तद्नुसार, सिक्किम खनन निगम के विरुद्ध बकाया रु. 54 लाख के ऋण एवं उस पर लगने वाले ब्याज रु. 4,23,70,936/- (कुल रु. 4,77,70,936/-) में से एसएमसी की मशीनरी की बिक्री से अर्जित रु. 11.21 लाख तथा उस पर लगने वाला ब्याज रु. 6,15,784/- (रु. 17,36,784/-) को घटाकर प्राप्त कुल रु. 4,60,34,132/- की राशि को चुकाने से छूट प्रदान की जाती है।

जया शाह
अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

New Delhi, the 3rd September 2020

No. A-42/31/2016-O/o US (ADM)—Competent Authority has approved the proposal of Ministry of Development of North Eastern Region for the waiver of re-payment of loan amount Rs. 54 lakh and interest thereon, amounting to Rs. 370.40 lakh (upto 31.03.2019), totalling Rs. 424.40 lakh plus the amount of interest that has accrued on total amount from 01.04.2019 till the approval of the proposal by CCEA i.e. till 27.11.2019, outstanding against the Sikkim Mining Corporation subject to the condition of return of an amount of Rs. 11.21 lakh accured from the sale proceeds of Sikkim Mining Corporation machinery (SMC) plus interest thereon.

2. SMC has deposited and amount of Rs. 17,36,784/- (Rs. 11.21 lakh plus interest thereon Rs. 6,15,784/- till 12.08.2020) on 13.08.2020 through RTGS in the account of PAO, MDoNER.

3. Accordingly an amount of Rs. 4, 60,34,132/- stands waived off towards loan of Rs. 54 lakh plus interest thereon Rs. 4,23,70,936 (Rs. 4,77,70,936/-) minus the amount accrued from sale proceed of SMC machinery Rs. 11.21 lakh plus interest thereon Rs. 6,15,784/- (Rs. 17,36,784/-), against Sikkim Mining Corporation.

JAYA SHAH
Under Secretary

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित

UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN GARAI Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI Date: 2020.09.26 11:07:05 +05'30'